

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

आदेश

संख्या-3/विविध-01-01/2025-

95(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 13/02/25

स्वास्थ्य सेवा सम्बर्ग के निम्न चिकित्सा पदाधिकारियों को नीट पी0जी0-2024 के परीक्षा के काउंसलिंग एवं चयनोपरान्त आवंटित संस्थान में नामांकन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र0 स0	चिकित्सक का नाम/पदनाम एवं पदस्थापन स्थल	नियंत्री पदाधिकारी का पत्रांक/दिनांक
1	2	3
1	डा0 सुमन कुमारी पासवान, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरेयाकोठी, सिवान	45 दिनांक 08.01.2025
2	डा0 नवीन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनबरसा, सीतामढ़ी	384 दिनांक 30.01.2025
3	डा0 अल्पना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, धनवा, बाढ़, पटना	1686 दिनांक 05.02.2025
4	डा0 राहुल कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, मानो, सूर्यगढा, लखीसराय	183 दिनांक 05.02.2025
5	डा0 उर्मी पोद्दार, ट्यूटर, पी0एस0एम0 विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पूर्णियाँ ।	68 दिनांक 25.01.2025
6	डा0 सुनील कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, बिक्रम, पटना	1400 दिनांक 28.01.2025
7	डा0 चद्रमणि, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, कटगेनवा बाजार, आदापुर, पूर्वी चम्पारण	371 दिनांक 24.01.2025
8	डा0 सुजीत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, कैथवलिया, कल्याणपुर, पूर्वीचम्पारण	295 दिनांक 21.01.2025
9	डा0 रवि रजन, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय	161 दिनांक 23.01.2025
10	डा0 शाईस्ता परवीन, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, अकोढीगोला, रोहतास	268 दिनांक 30.01.2025
11	डा0 आशीष देव, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, सिरसी, बख्तियारपुर	1680 दिनांक 04.02.2025
12	डा0 देवेश भट्ट, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, औरंगाबाद	5011 दिनांक 19.12.2024

02. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन प्राप्त करनेवाले चिकित्सा पदाधिकारियों पर विभागीय संकल्प सं0 450(1) दिनांक 15.04.2017 के सभी शर्तें लागू होंगी ।

03. क्रम सं0 12 पर अंकित चिकित्सक (बोर्ड से आच्छादित) को विभागीय आदेश सं0 914(1) दिनांक 06.10.2020 सह-पठित-शुद्धि पत्र सं0 915(1) दिनांक 10.10.2020 में निहित शर्तों के आलोक में काउंसलिंग/नामांकन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है ।

04. उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों को अनुमति मात्र पी0जी0 पाठ्यक्रम हेतु प्रदान की जा रही है ।

05. उक्त चिकित्सक अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने-अपने नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत विरमित होना सुनिश्चित करेंगे ।

06. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापाक :

95(3)

/स्वा0, पटना, दिनाक:

13/02/25

प्रतिलिपि महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना/संबंधित प्राचार्य/संबंधित अधीक्षक/संबंधित निदेशक/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी/दंत चिकित्सक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एव 11/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी0एम0यू0 लीड/डाटा एनॉलिस्ट को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Wamk 13/2/25
सरकार के अवर सचिव